बिहार सरकार

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

श्री सुशील कुमार मोदी
माननीय उप-मुख्यमंत्री

गिरिराज सिंह
माननीय सहकारिता मंत्री

सहकारिता विभाग

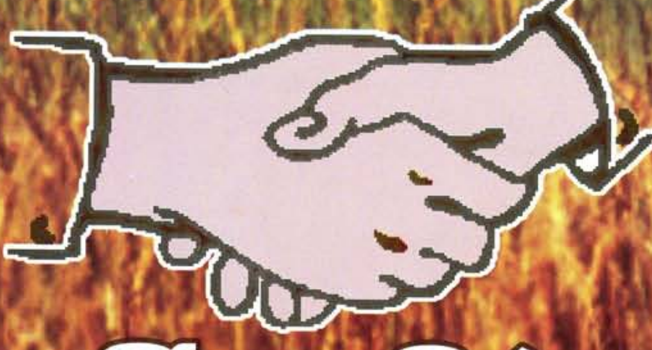

वार्षिक प्रतिवेदन
2009-2010

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

एक सबके लिए

सब एक के लिए

वार्षिक प्रतिवेदन

2009–10

31/01/2010

श्री गिरिराज सिंह
मंत्री, सहकारिता

संदेश

सहकारिता विभाग का वर्ष 2009–10 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

सहकारिता के माध्यम से इस राज्य के कृषि उत्पादन को लाभप्रद बनाने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सहकारी संस्थाओं में पूर्ण प्रजातांत्रिक पद्धति लागू कर आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता परिलक्षित हो रही है।

प्राथमिक कृषि साख समितियों को ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता के उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज की उपलब्धता सहकारिता के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कैम्प लगाकर अभी तक कुल 4312 पैक्सों को उर्वरक बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति दिलाई गई है। कृषकों में आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु फसल बीमा का आच्छादन अधिक से अधिक किसानों के बीच किया जा रहा है। सहकारिता के माध्यम से वर्ष 2005–06 में 3.10 लाख कृषकों की अपेक्षा वर्त्तमान खरीफ मौसम में 10.93 लाख कृषकों को फसल बीमा के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। साथ ही वर्ष 2005–06 के क्षतिपूर्ति की राशि 153.92 करोड़ की तुलना में वर्ष 2007–08 में 456.75 करोड़ के क्षतिपूर्ति की राशि कृषकों को प्रदान करायी गयी है।

(गिरिराज सिंह)
मंत्री
सहकारिता विभाग।

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1–2
2.	महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ – (एक झलक)	3–5
3.	योजनायें एवं उपलब्धियाँ	6–13
	(i) समेकित सहकारी विकास परियोजना	
	(ii) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	
	(iii) अधिप्राप्ति	
	(iv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	
	(v) वार्षिक योजना	
4.	सहकारी कृषि साख एवं उपलब्धियाँ	14–18
	(i) अल्पकालीन कृषि साख	
	(ii) बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि.	
	(iii) केन्द्रीय सहकारी बैंक	
	(iv) पैक्स	
	(v) दीर्घकालीन कृषि साख एवं बिहार राज्य भूमि विकास बैंक लि.	
5.	सुशासन के कार्यक्रम	19–20
6.	सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण	21–22
7.	अन्य महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान	23–26
	(i) बिस्कोमान	
	(ii) बिहार राज्य हाऊसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.	
	(iii) बिहार राज्य सहकारी संघ लि.	
	(iv) केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार	
	(v) प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार	
	(vi) व्यापार मण्डल	
	(vii) दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ	
8.	बिहार राज्य भण्डार निगम	27
परिशिष्ट–I	निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	28
परिशिष्ट–II	प्रशासनिक संरचना	29
परिशिष्ट–III	सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय	30–31

1. प्रस्तावना

सहकारिता विभाग का वर्ष 2009–10 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन आपके समक्ष है। वर्तमान के सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिवेश में सहकारिता को प्रासंगिक एवं सबल बनाने हेतु सरकार सदैव प्रयत्नशील है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबल आधार ग्रामीण क्षेत्र ही है तथा इसकी उपेक्षा कर एक सशक्त भारत के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सहकारिता की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम् भूमिका है तथा इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा बदले हुए माहौल में सहकारी नीतियों में आमूल परिवर्तन लाया गया है। सहकारिता को और अधिक प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से अनेक संस्थागत सुधार किये गये हैं तथा सहकारी समितियों के कार्यकलापों को पारदर्शी बनाने हेतु बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम में व्यापक संशोधन किये गये हैं। पैक्सों, व्यापार मण्डलों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों सहित कई शीर्ष संस्थानों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन हेतु स्वतंत्र राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया है। पैक्सों में आमलोगों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया गया जिसके तहत् जनवरी 2010 तक में लगभग 57 लाख से अधिक नए सदस्य बनाये गये। राज्य के कमजोर वर्गों के लोगों की पैक्सों में सदस्यता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की सदस्यता शुल्क एवं एक शेयर की राशि का वहन भी राज्य सरकार द्वारा करने का निर्णय के तहत कुल 495.64 लाख रुपये की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 09–10 में दिया गया है। राज्य के पंचायत स्तर पर पैक्स के पुर्नगठन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है तथा गठित पैक्सों में राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन सम्पन्न करा लिया गया है। व्यापार मंडल का पुर्नगठन किया जा रहा है तत्पश्चात् इसके निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा की जायेगी। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं हैं वहाँ कृषि साख के सुदृढ़ीकरण हेतु नये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का गठन किया जाना है।

राज्य के कृषकों को उनके उत्पादों का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2008 में राज्य में किये गये कुल धान खरीद के 70 प्रतिशत एवं रब्बी 2008–09 में कुल गेहूँ खरीद का 60 प्रतिशत भाग सहकारी समितियों के सहयोग से की गई थी वहीं खरीफ 2009 में अबतक 1,51,626 मेट्रीक टन धान तथा रब्बी 09–10 में 91,525 मेट्रीक टन गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई है। धान अधिप्राप्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पैक्सों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को पहूँची क्षति की स्थिति में कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू है। इस योजना में गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पैक्सों को गैर ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा एजेण्ट के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। खरीफ वर्ष 2008 में राज्य में हुए फसल क्षति के लिए 66,814 कृषकों को 61.10 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है एवं रब्बी 2008–09 में 1,57,455 कृषकों को 189.35 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रस्तावित है। खरीफ 2009 में 6,96,355 कृषकों का 1625.75 करोड़ रूपये की फसल बीमित की गयी है।

सहकारी क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों के उर्जा समस्या को दूर करने तथा लागत को कम करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर बायोमास गैसीफायर लगाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। वर्तमान में इस उर्जा को कई पैक्सों, बुनकर समितियों एवं कोल्ड स्टोरेज में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। साथ ही उक्त संयंत्र के अतिरिक्त उत्पादित उर्जा की आस–पड़ोस के क्षेत्रों में आपूर्ति करने की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उर्जा विभाग को भेजा गया है। 40 पैक्सों में गैसीफायर के साथ मिनी चावल मिल स्थापित करने की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दी गई है एवं 12.00 लाख प्रति पैक्स की दर से 4.80 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है।

राज्य में भण्डारण क्षमता की कमी को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् बिहार राज्य भण्डार निगम के माध्यम से 50,000 मेट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन किया जा रहा है। साथ ही समेकित सहकारी विकास परियोजना (आई॰सी॰डी॰पी॰) योजना के तहत् पैक्सों एवं व्यापारमंडलों में गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है।

वर्तमान में पैक्सों को ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। पैक्सों द्वारा अपने सदस्यों से जमा एकत्रित कर अपने निजी संसाधन से माइक्रो वित्त पोषण का कार्य भी किया जा रहा है। इनके द्वारा वर्ष 2009–10 में अबतक लगभग 89 करोड़ रूपये का खाद व्यवसाय किया गया है। लघु सिंचाई जल संसाधन विभाग के अधीन कार्यरत राजकीय नलकूपों को चलाने हेतु आई॰सी॰डी॰पी॰ के तहत् चयनित पैक्सों को हस्तांतरित करने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है।

सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के सूदृढ़ीकरण हेतु वैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसाओं को लागू करने के निर्णय के आलोक में बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम 1935 तथा बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली 1959 में भी आवश्यक संशोधन किये गये हैं। इस पुनरोद्धार पैकेज के तहत् प्रथम चरण में 415.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति एस॰एल॰आई॰सी॰ द्वारा 5,342 पैक्सों के लिए दी गई है जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 27.04 करोड़ रुपये की राशि है जिसकी स्वीकृति / विमुक्ति कर दी गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता के माध्यम से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में राज्य के 7 जिले में आई॰सी॰डी॰पी॰ परियोजना चलायी जा रही है तथा इसके अलावे 9 जिलों को इस परियोजना से आच्छादित करने हेतु कार्रवाई प्रगति पर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के शेष सभी जिलों को आच्छादित करने का विभाग द्वारा लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2009–10 में विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से हासिल की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है इसका रचनात्मक समीक्षा एवं बहुमुल्य सुझाव के लिए सहकारिता विभाग आभारी रहेगा।

2. महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ – (एक झलक)

- **फसल बीमा में प्रगति**

प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्त्ति प्रदान करने के लिए फसल बीमा के आच्छादन में वर्ष खरीफ 2009 में गत वर्ष की अपेक्षा लगभग दोगुना से अधिक वृद्धि दर्ज करते हुए कुल 6,96,355 कृषकों का लगभग 1626 करोड़ रुपये मूल्य की फसल का बीमा किया गया है।

खरीफ 2008 एवं रब्बी 2008–09 फसलों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के लिए 2,24,455 कृषकों को लाभान्वित करते हुए 250.45 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्त्ति का भुगतान किया जा रहा है।

खरीफ 2009 में धान फसल हेतु राज्य के पटना, गया, दरभंगा, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, सहरसा, भभुआ एवं अररिया जिले तथा मकई फसल हेतु संपूर्ण भागलपुर एवं खगड़िया जिला में पायलट आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। रब्बी 2009–10 मौसम में गेहूँ, चना, आलु एवं मसूर फसल के लिए राज्य के 7 से 10 जिलों को बीमा हेतु आच्छादित करते हुए संकल्प निर्गत किया गया है।

- **पैक्सों का पुर्नगठन**

पंचायत स्तर पर पैक्सों का पु र्गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत् पंचायत स्तर पर पैक्सों का पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा पुनर्गठित पैक्सों में राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन सम्पन्न करा लिया गया है। पुनर्गठित पैक्सों के आस्तियों एवं देनदारियों का विभाजन किया जा रहा है। 09/02/2010 तक 2897 पैक्सों के आस्तियों एवं देनदारियों का विभाजन कर दिया गया है।

- **बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरोद्धार योजना**

राज्य के अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रो॰ ए॰ बैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरुद्धार पैकैज के तहत् अल्पकालीन कृषि साख संस्थाओं यथा पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचित हानी को समाप्त करते हुए इन संस्थाओं को सुदृढ़ एवं जीवंत बनाना है। इस पैकैज के तहत् प्रथम चरण में राज्य के कुल 6,065 पैक्सों एम॰पी॰सी॰एस॰ (पुर्नगठन के पूर्व) में से कुल 5,342 पैक्सों के लिए कुल 415.17 करोड़ की पुर्नरुद्वार पैकेज की स्वीकृति एस॰एल॰आई॰सी॰ द्वारा दी गई है जिसमें से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संबंधित पैक्सों का हिस्सा क्रमशः 300.84 करोड़, 27.04 करोड़ एवं 87.29 करोड़ है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि कुल 27.04 करोड़ की स्वीकृति/विमुक्ति कर दी गई है। भारत सरकार के हिस्से की राशि की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

द्वितीय चरण में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का पुनरोद्धार किया जाना है जिसके लिए इन बैंकों के विशेष अंकेक्षण की कार्रवाई अंतिम चरण में हैं

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन**

राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद की बैठक के निर्णयानुसार वर्ष 2007–08 में पहली बार इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत् कृषि उत्पाद संचयन अभीवृद्धि के निमित्त 50 हजार मैट्रीक टन का अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन बिहार राज्य भंडार निगम के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके तहत् 5 हजार मैट्रीक टन क्षमता का 10 गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना के तहत् वर्ष 2007–08 में बिहार राज्य भंडार निगम को राज्य योजना से 1929.30 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2008–09 में 374.00 लाख रूपये की लागत से दो गोदाम निर्माण की प्रक्रिया में है। बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा समस्तीपुर, फतुहा एवं छपरा जिले में 5 हजार मेट्रिक टन का दो–दो गोदाम एवं मोतिहारी, मोहनियाँ, सासाराम एवं आरा में 5 हजार मेट्रिक टन क्षमता का एक–एक गोदाम कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) के प्रांगण में बनवाए जा रहे हैं।

- **सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन**

राज्य के सहकारी समितियों को पारदर्शी बनाने एवं कमजोर वर्गों की सहभागीता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया गया है। समितियों में कमजोर वर्गों की सहभागिता बढ़ाने हेतु अनुसुचित जाति/जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तिों को सदस्यता शुल्क तहत् एक शेयर की राशि भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

- **अधिप्राप्ति योजना**

इस योजना अन्तर्गत खरीफ 2009 में अबतक 1,51,626 मेट्रिक टन धान एवं रब्बी 09–10 में 91,525 मेट्रिक टन गेहूँ की अधिप्राप्ति सहकारी समितियों द्वारा की गई है।

- **राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन**

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सहकारी समितियों का निर्वाचन स्वतंत्र राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से कराने हेतु राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया है। इससे समितियों के निर्वाचन में पारदर्शिता आयेगी। इसके तहत् पैक्सों, व्यापार मंडलों, केन्द्रीय सहकारी बैंको एवं कई शीर्ष सहकारी संस्थानों का निर्वाचन संपन्न कराया जाना है जिसमें से पैक्सों में निर्वाचन सम्पन्न करा लिया है।

- **पैक्सों में जमा वृद्धि योजना**

इस योजना अन्तर्गत जनवरी 2010 तक 1218 पैक्सों द्वारा अपने सदस्यों से 13,873.64 लाख का जमा एकत्रित किया गया है।

- ### सदस्यता वृद्धि अभियान

पैक्सों में सदस्यता वृद्धि अभियान, अभियान के रुप में चलाया जा रहा है जिसके तहत अबतक लगभग 57 लाख नये सदस्य बनाये गये है। सदस्यता अभियान के तहत पैक्सों में समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अलुसूचित जन–जाति, पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा एवं महिला वर्ग के बनाये गये सदस्यों का सदस्यता शुल्क एवं एक हिस्से की राशि वहन करने के लिए 495.64 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है।

- ### पैक्सों में किसान कल्ब का गठन

पैक्सों में अबतक 224 किसान कल्ब का गठन किया गया है।

- ### आम आदमी बीमा योजना

इस योजना अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में गठित पैक्सों के 1,94,427 सदस्यों के बीमा का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित है।

----

३. योजनायें एवं उपलब्धियाँ

सहकारिता विभाग द्वारा लागू की जा रही मुख्य योजनायें

(i) समेकित सहकारी विकास परियोजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता के माध्यम से विकसित करने के उद्देश्य से यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से राज्य के सात (07) जिलों यथा गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, आरा, गया, छपरा एवं सिवान में कार्यान्वित की जा रही है। इन सातों जिलों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर विभाग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य के सभी शेष जिलों में इस परियोजना को चलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वर्ष 2009–10 में राज्य के कैमूर जिला में योजना स्वीकृत हो गया है एवं दो जिलों में इस योजना को लागू करने का कार्रवाई अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त उग्रवाद प्रभावित जिले पूर्वी चम्पारण, अररिया, नालन्दा, वैशाली, अरवल एवं जहानाबाद जिलों में इस योजना को कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्वीकृति मिल गयी है। जिसमें से जहानाबाद जिला में भी यह योजना कार्यान्वित करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। इस परियोजना के तहत् राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण प्राप्त कर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (पैक्सों) को ऋण, हिस्सा पूँजी एवं अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

इस परियोजना के उद्देश्यों में कृषि कार्यों के विकास के लिये पैक्सों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों यथा मत्स्य–पालन, दुग्ध विकास कार्यक्रम, मुर्गी–पालन, मधुमक्खी–पालन के विकास, महिलाओं के लिये कार्यक्रम, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना तथा समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विकास तथा पणन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन कार्यों के लिये आधारभूत संरचना के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के साथ–साथ समितियों में व्यवसाय विकास के लिये मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

इस परियोजना में मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। समितियों के प्रबन्धकों, निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबन्धकीय विकास, वित्तीय प्रबन्धन एवं व्यवसाय विकास में प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान हो, जिसका प्रतिफल समिति के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में मिले।

परियोजनान्तर्गत लागत एवं व्यय, गोदाम निर्माण, व्यवसाय एवं प्रशिक्षण की समेकित प्रगति का विवरण निम्नवत है :–

परियोजना लागत एवं व्यय

(राशि लाख रुपये में)

क्रमांक	जिला का नाम	ऋण	हिस्सा पूँजी	अनुदान	कुल योग	कुल व्यय (31/01/10 तक)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	गोपालगंज	295.62	631.62	292.00	1219.24	1219.24
2.	मधुबनी	287.65	704.47	212.80	1204.92	1204.92
3.	गया	313.34	607.68	215.39.	1136.41	1136.41
4.	सीतामढ़ी	299.15	517.70	218.63	1035.48	1035.48
5.	आरा	304.68	645.95	162.60	1113.23	1084.89
6.	छपरा	280.60	673.50	205.62	1159.72	1130.20
7.	सिवान	296.57	683.08	164.57	1144.20	1113.19
	कुल योग	**2077.61**	**4464.00**	**1471.61**	**8013.22**	**7924.33**

गोदाम निर्माण

क्रमांक	जिला का नाम	पैक्स का गोदाम निर्माण		व्यापारमण्डल का गोदाम निर्माण	
		गोदाम निर्माण का लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि (31/01/10 तक)	गोदाम निर्माण का लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि (31.01.10तक)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	गोपालगंज	130	130	09	9
2.	मधबनी	105	105	12	12
3.	गया	118	114	12	8
4.	सीतामढी	100	91	12	10
5.	आरा	105	93	16	12
6.	छपरा	90	79	13	8
7.	सिवान	100	75	15	8
	कुल योग	**748**	**687**	**89**	**67**

8 व्यवसाय विकास

		2009-10 (31/01/10 तक)
1.	समितियों की संख्या	663
2.	कषि (खाद एवं बीज व्यवसाय)	1359.50
3.	बंधक व्यवसाय	33.24
4.	सीधी खरीद	431.48
5.	उपभोक्ता व्यवसाय	343.24
6.	जमा वृद्धि	1731.26
7.	उपभोक्ता ऋण	342.63
8.	अन्य	334.02
	कुल व्यवसाय	45,75.37

प्रशिक्षण कार्य

	31/01/10
1. प्रबन्धक	551
2. अध्यक्ष	501
3. कार्यकारिणी सदस्य	15261
4. सामान्य सदस्य	106883
5. सेल्समैन / गोदामपाल	444
कुल योग	**123640**

इसके अतिरिक्त इस परियोजनान्तर्गत चयनित जिलों के 24 पैक्सों मे कम्पोजिट यूनिट की स्थापना की गई है जिसमें आँटा चक्की एवं तेल मिल एक साथ है। 42 बुनकर समितियों में 447 फ्रेमलूम, पावरलूम, जैकार्डलूम, पैडललूम आदि उपलब्ध कराये गये हैं। 26 महिला सहयोग समितियों में मधुबनी पेंटिंग्स, चिप्स निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, पत्तल निर्माण, मसाला निर्माण, सिलाई, बुनाई आदि कार्यों के लिए 42.15 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। परियोजनान्तर्गत 18 पैक्सों एवं 2 व्यापारमंडलों में लघु चावल मिल की स्थापना की गई है एवं 17 पैक्सों में एग्रीक्लिनिक स्थापित किये गये हैं जहाँ मिट्ठी एवं जल जाँच की सुविधा होगी एवं कृषकों को कृषि स्नातकों से परामर्श की सुविधा दी जा सकेगी।

(ii) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़ एवं तुषारापात से फसलों का मारे जाने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल लगाने के निमित्त कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2000 से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इस राज्य में भी लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत कृषकों द्वारा उपजायी जाने वाली फसलों के प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होने के फलस्वरूप बीमित राशि के लिये क्षतिपूर्त्ति का भुगतान किया जाता है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- वाणिज्यिक, ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों से अल्पकालीन कृषि ऋण लेने वाले सभी कृषकों के लिए यह योजना अनिवार्य है।
- गैर–ऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक भागीदारी की व्यवस्था है।
- सामान्यतः दलहन, तेलहन, नगदी फसल सहित सभी प्रकार के फसलों का बीमा
- कृषकों के समक्ष बीमित राशि (SUM INSURED) के लिए निम्न तीन विकल्प :–

  (i) पूर्ण ऋण राशि का बीमा अनिवार्य है।

  (ii) कृषक निर्धारित उपज के मूल्य तक बीमा करा सकते है।

  (iii) कृषक औसत उपज के 150 प्रतिशत तक की राशि का बीमा करा सकते हैं।

- वर्ष 2009–10 में भी राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रीमियम की राशि में 10 प्रतिशत का अनुदान
- अनुदान की राशि का भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन
- फसलों की क्षति का आकलन फसल कटनी के प्रयोग के परिणामों पर
- मुख्य फसल जैसे धान, गेहूँ हेतु अंचल एवं शेष फसलों के लिए जिला आकलन की इकाई
- क्षतिपूर्त्ति की राशि का भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन
- बीमा योजना की कार्यान्वयन एजेंसी एग्रीकल्चर इंस्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना है।
- गैर ऋणि कृषकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पैक्सों को फसल बीमा एजेण्ट के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य में प्रथम वर्ष 2007–08 से मौसम आधारित फसल बीमा लागू है। खरीफ 2009 मौसम में धान फसल हेतु पटना, गया, दरभंगा, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, सहरसा, भभुआ एवं अररिया जिलों में तथा मकई फसल हेतु संपूर्ण भागलपुर एवं खगड़िया जिला में पायलट आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। रब्बी 2009–10 मौसम में गेहूँ, चना, आलु एवं मसूर फसल के लिए राज्य के 7 से 10 जिलों को बीमा हेतु आच्छादित करते हुए संकल्प निर्गत किया गया है। इस योजना में क्षतिपूर्ति की कुल राशि बीमा कंपनी को ही वहन करना है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत् तापमान में परिवर्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला आदि कारणों से फसल की क्षति होने पर क्षति आकलन का प्रावधान है। इस योजना में राज्य एवं केन्द्र सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक ही सीमित है।

बिहार राज्य में फसल बीमा की प्रगति

(राशि लाख में)

मौसम	वर्ष	कुल बीमित कृषकों की संख्या	कुल बीमित राशि	लाभान्वित कृषको की संख्या	क्षतिपूर्ति की राशि
खरीफ	2003	80432	6902.03	27433	1290.26
	2004	293442	34084.72	268532	21184.71
	2005	221985	33911.27	125958	10088.61
	2006	344686	59133.08	75880	4017.44
	2007	641651	116293.45	331954	40991.26
	2008	337638	72693.29	66814	6110.26
	2009	696355	162574.92	आकलन प्रक्रियाधीन	
रब्बी	2003-04	69012	7290.18	34336	1348.03
	2004-05	118090	13716.17	54613	2802.49
	2005-06	187961	28439.99	102929	5303.94
	2006-07	339749	59439.59	65927	3410.43
	2007-08	271171	56884.58	42668	4683.00
	2008-09	358549	85072.81	157455	18935.00

मौसम आधारित फसल बीमा की प्रगति

(राशि करोड़ में)

मौसम	वर्ष	कुल बीमित कृषकों की संख्या	कुल बीमित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या	क्षतिपूर्ति की राशि
रब्बी	2007-08	16158	27.73	10510	1.70
	2008-09	138443	324.32	97011	21.65
खरीफ	2008	78110	173.30	37435	4.87
	2009	396684	936.59	आकलन प्रक्रियाधीन	

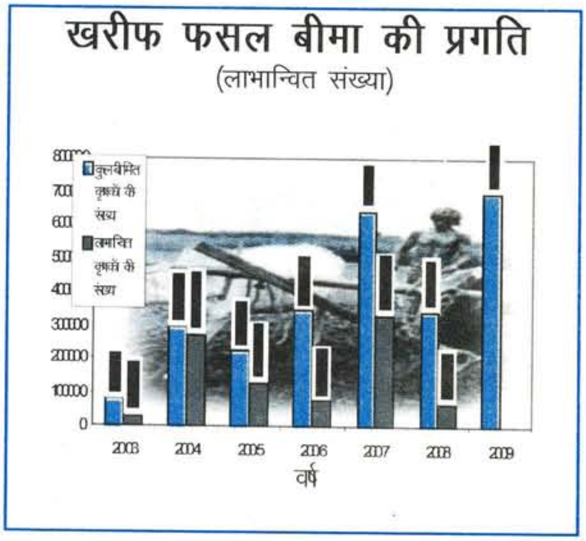

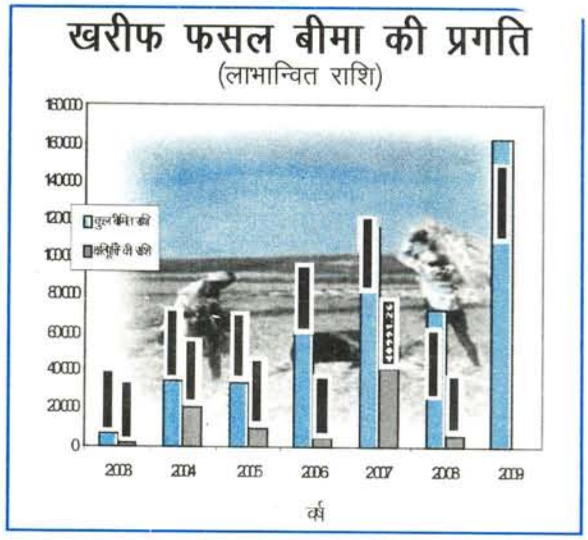

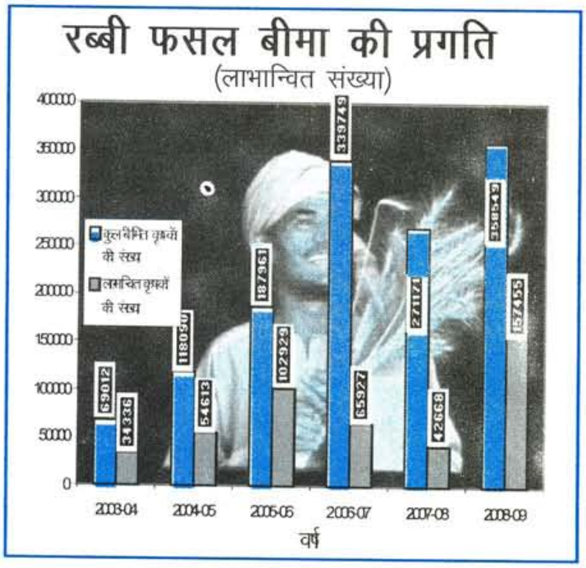

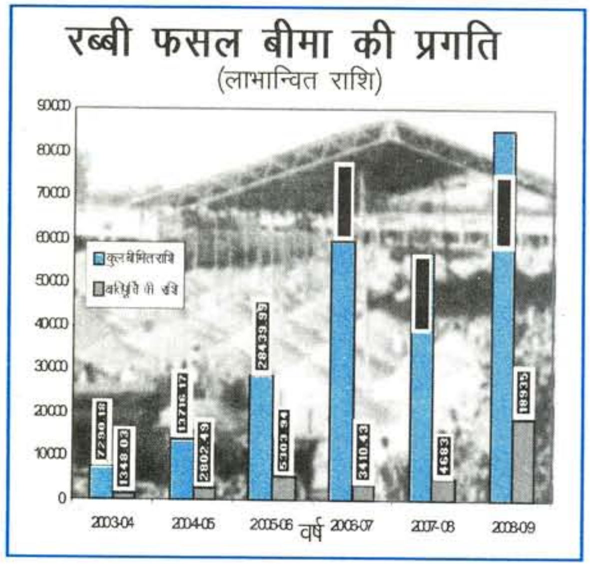

(iii) अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के कृषकों से धान, चावल, गेहूँ एवं जूट का क्रय कर सहकारी समितियाँ भारतीय खाद्य निगम/भारतीय जूट निगम को आपूर्त्ति करती है। खरीफ 2009 में 20 फरवरी 2010 तक 151626 मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है वहीं रब्बी 2009–10 में 91525 मेट्रिक टन गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी। अधिप्राप्ति योजना अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं 50/– रुपया प्रति क्विंटल बोनस की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी 50/– प्रति क्विंटल बोनस की राशि का भी वहन किया जा रहा है तथा गेहूँ की अधिप्राप्ति पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 25/– रुपये की दर से बोनस का भुगतान किया जा रहा है।

विगत सात वर्षो में सहकारी समितियों द्वारा धान, चावल, गेहूँ एवं जूट की अधिप्राप्ति निम्न मात्रा में की गई :–

(मात्रा मे॰ टन में)

वर्ष	धान	चावल	गेहूँ	जूट
2003-04	164302.00	253167.00	37747.00	8428.50
2004-05	72000.00	294577.00	7096.00	1201.80
2005-06	580115.95	-	-	29.00
2006-07	517049.68	-	-	-
2007-08	527227.00	-	-	-
2008-09	637293.00	-	267014.00	-
2009-10	151626.00	-	91525.00	-

(iv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय विकास परिषद की दिनांक 29.05.2007 की बैठक के निर्णय के आलोक में वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत् सहकारिता प्रक्षेत्र अन्तर्गत कृषि उत्पाद संचयन अभिवृद्धि के निमित्त राज्य में गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है। इस योजना से राज्य के खाद्यान, उर्वरक एवं अन्य कृषि उत्पाद हेतु वैज्ञानिक भंडारण क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी जिससे राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को अपने कृषि उत्पाद के वैज्ञानिक भंडारण का लाभ मिल सकेगा। गोदाम का निर्माण बिहार राज्य भंडार निगम के माध्यम से किया जाना है।

इस योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2007–08 में रुपये 1929.30 लाख भंडार निर्माण हेतु बिहार राज्य भंडार निगम को उपलब्ध करा दिया गया है। बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा समस्तीपुर, फतुहाँ एवं छपरा में 5,000 मेट्रिक टन के दो–दो गोदाम एवं मोतिहारी तथा मोहनियाँ में 5,000 मेट्रिक टन के एक–एक गोदाम कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांगण में बनाये जा रहे हैं। वर्ष 2008–09 में पाँच–पाँच हजार मेट्रिक टन के दो अतिरिक्त गोदाम 374.00 लाख रूपये की लागत से निर्माण की प्रक्रिया में है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में राज्य के 40 पैक्सों में बायोमास गैसीफायर के साथ 40 मिनी राईस के निर्माण हेतु 480.00 लाख रूपये उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 350.00 लाख रुपये का उपबंध है।

(v) वार्षिक योजना

वार्षिक योजना 2009–10 के लिए राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत कुल 17630.13 लाख रुपये का उपबन्ध स्वीकृत था, जिसके विरुद्ध जनवरी 2010 तक 9677.82607 लाख रूपये का व्यय किया गया।

वर्ष 2009–10 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :–

क्र०सं०	परियोजना का नाम	उपबन्ध की राशि			व्यय की गई राशि
		राज्य योजना उद्व्यय	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति अनुदान	10300.00	-	10300.00	6200.00
2	पॉयलेट प्रोजेक्ट अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु प्रीमियम अनुदान	5400.00	-	5400.00	3400.00
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	350.00	-	350.00	-
4	एन०सी०डी०सी० संपोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना	100.00	613.13	713.13	-
5	सहकारी प्रशिक्षण संस्थान को नवीकरण / मरम्मती	5.00	-	5.00	-
6	विभागीय पदाधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण	5.00	-	5.00	-
7	विभागीय कार्यों हेतु प्रचार–प्रसार	20.00	-	20.00	2.90
8	गोदामों के नवीकरण / निर्माण हेतु सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	1.00	-	1.00	-
9	वैद्यनाथन कमिटि के आलोक में साख संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	836.00	-	836.00	74.92607
	कुल	**17017.00**	**613.13**	**17630.13**	**9677.82607**

----

4. सहकारी कृषि साख एवं उपलब्धियाँ

राज्य में सहकारिता आन्दोलन के क्रमिक विकास में कृषि साख एक महत्वपूर्ण विषय है। राज्य के कृषि प्रधान होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की अनिवार्यता के साथ ही साथ कृषि साख की सुविधा उपलब्ध कराने में सहकारिता की मुख्य भूमिका रही है। सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन साख तथा दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है।

(i) अल्पकालीन कृषि साख

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारिता अधिकोष लि॰ राज्य सरकार की गारण्टी पर नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर एवं अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी अधिकोष के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को निर्धारित मापदण्ड पर अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराता है। कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख को सरल एवं ससमय उपलब्ध कराने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन ऋण मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारंभ से 31/01/2010 तक 819545 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 101960.37 लाख रुपये की साख सीमा स्वीकृत की गई है। इस प्रकार बिहार राज्य सहकारिता अधिकोष, केन्द्रीय सहकारी अधिकोष एवं प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति सहकारी आन्दोलन की परिकल्पना के अनुरूप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सहकारी कृषि साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवंत बनाने के उद्देश्य से प्रो॰ ए॰ बैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की अनुशंसा के आलोक में राज्य द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर पुनरोद्धार पैकेज के तहत्, पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक आदि के संचित हानि को समाप्त कर इन सहकारी संस्थानों को सुदृढ़ एवं जीवंत बनाना है। इस पुनरुद्धार पैकेज के तहत् प्रथम चरण में 5342 पैक्सों के लिए 415.17 करोड़ की राशि एस॰एल॰आई॰सी द्वारा स्वीकृती दी गई है। जिसमें राज्य सरकार के हिस्से की राशि 27.04 करोड़ रुपये की स्वीकृति/विमुक्ति कर दी गई है। द्वितीय चरण में केन्द्रीय सहकारी बैंको का पुनरुद्धार किया जाना है जिसके लिए इन बैंकों के विशेष अंकेक्षण की कार्रवाई अंतिम चरण में है।

अल्पकालीन ऋण वितरण की प्रगति

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2002-03	29100.00	9606.99
2003-04	36800.00	14248.07
2004-05	63000.00	27374.77
2005-06	69100.00	23460.76
2006-07	69000.00	29553.78
2007-08	37200.00	35584.91
2008-09	65000.00	24720.34
2009-10	99909.00	26521.94

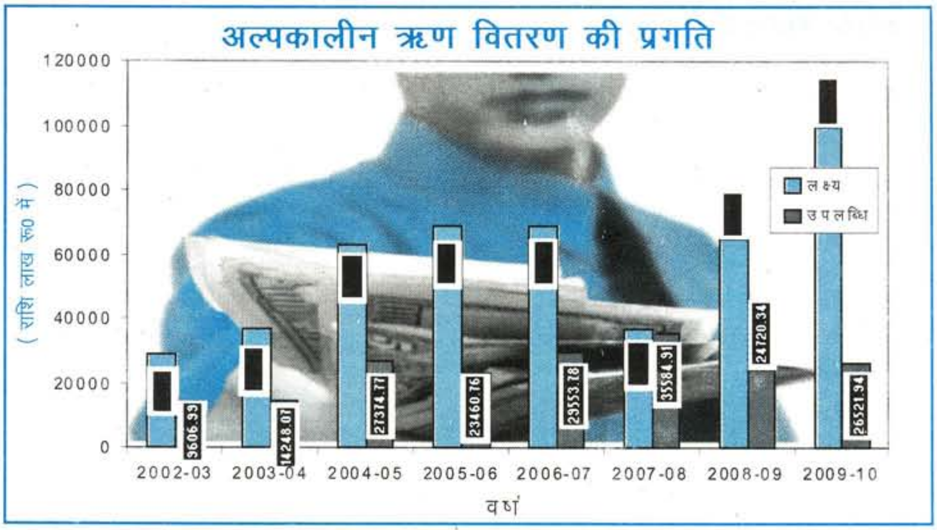

अल्पकालीन ऋण माँग एवं वसूली की प्रगति

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	माँग	वसूली
2002-03	53835.91	13813.54
2003-04	55773.34	20265.67
2004-05	59329.23	23007.01
2005-06	64515.25	31489.39
2006-07	60388.48	36118.35
2007-08	60155.30	20318.11
2008-09	63266.19	34321.73
2009-10	33639.28	11693.90 (Upto 31.12.09)

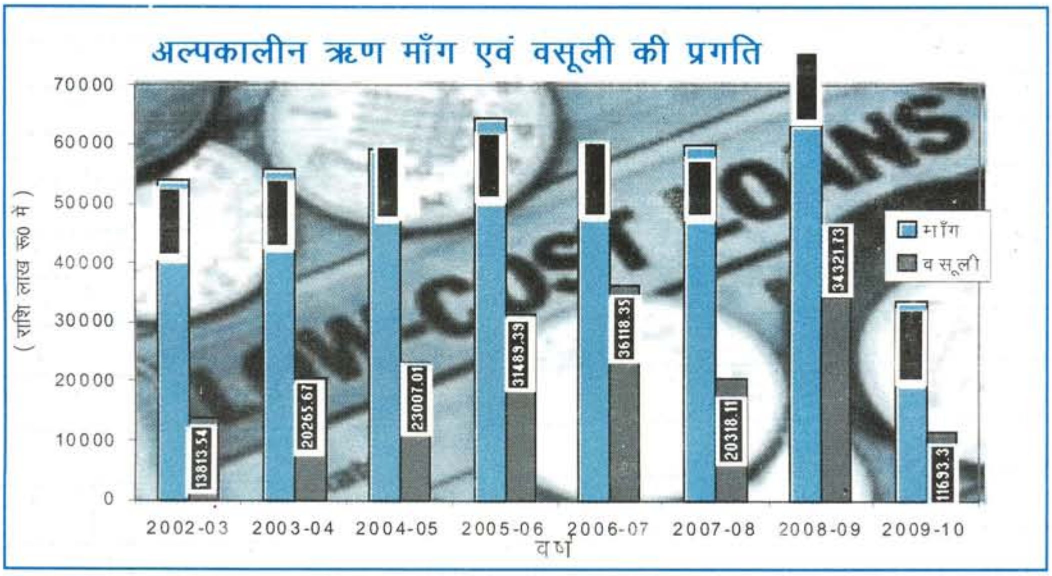

(ii) बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि०

बिहार राज्य सहकारी बैंक, सहकारी क्षेत्र का शीर्ष सहकारी बैंक है, जो राज्य स्तर पर कृषि साख संरचना को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक राज्य सरकार की गारण्टी पर नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर एवं अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारिता बैंक की 16 (सोलह) शाखायें कार्यरत हैं जिसमें से 12 (बारह) शाखायें पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय किया जाता है तथा गैर–कृषि यथा व्यैक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी प्रदान किया जाता है। विगत पाँच वर्षों में बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्त्तन आया है, जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है।

विगत् चार वर्षों की बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० की वित्तीय स्थिति निम्नवत है :–

बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि०

(वित्तीय स्थिति)

(Rs. In Lakh)

Sl. No.	PARTICULARS	As on 31/03/07	As on 31/03/08	As on 31/03/09	As on 29/01/10
1	Share Capital	1829.13	1838.26	1870.81	1870.81
2	Statutory Reserve	1057.55	3865.91	3865.91	3865.91
3	Other Reserves	4672.31	9779.89	9854.78	9854.78
4	Undistributed Profit	8661.35	3232.14	3207.15	3207.15
5	Provision for Standard Assets	604.09	216.36	125.55	125.55
6	Provision for Bad & Doubtful Debts	17087.14	17203.05	17223.36	17223.36
7	Provision for Overdue Interest	2831.01	2916.65	3541.67	3541.67
8	Provision for Branch Adjustment	615.97	0.00	0.00	0.00
9	Owned Fund	37358.54	39052.26	39689.23	39689.23
10	Deposit	89960.77	83801.89	115905.59	131681.88
11	Borrowing	2902.78	5294.62	6239.38	9227.37
12	Working Capital	144914.11	140578.80	177550.30	202236.86
13	Investment	61125.34	52302.93	86769.41	111928.14
14	Loan Outstanding	62829.61	69294.77	61479.29	67106.20
15	Gross NPA	26710.75	23019.40	22851.25	22851.25
16	Percentage of NPA to Loan	42.51%	33.22%	37.17%	34.05%

(iii) केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना में केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्त्ती वित्त पोषक बैंक है। राज्य में इस बैंक की कुल संख्या 22 (बाइस) है। चौदह केन्द्रीय सहकारी बैंक जो पूर्व में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 11(i) के प्रावधानों का अनुपालन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, उसमें से अब तीन बैंक सक्षम हैं। कृषि साख के सुदृढ़ीकरण हेतु जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक का गठन नही है उन जिलों में नये केन्द्रीय सहकारी बैकों का गठन किया जाना है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या	हिस्सापूँजी		सुरक्षित निधि	वर्ष के दौरान वितरित ऋण	माँग	वसूली
		कुल	राज्य सरकार				
2004-05	22	7793.83	3156.49	4417.49	27374.77	59329.23	23007.01
2005-06	22	17024.16	11656.49	4919.84	23460.76	64515.25	31489.39
2006-07	22	17524.16	11656.49	4946.82	29553.78	60388.48	36118.35
2007-08	22	17618.22	11656.49	4965.72	35584.91	60155.30	20318.11
2008-09	22	17620.12	11656.49	4979.82	24720.34	63266.19	34321.73
2009-10	22	17638.85	11656.49	4982.72	26521.94	33639.28	11693.90 (31/12/09)

(iv) प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्तर की यह सहकारी समिति प्रत्येक पुराने पंचायतों में गठित है तथा जनतान्त्रिक प्रणाली से संचालित है। अब पैक्सों को पंचायत स्तर पर पुनर्गठित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कृषि साख की आवश्यकता को पूरा करना है। इस उद्देश्य के निमित्त पैक्स अपने सदस्यों को अल्पकालीन कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध करवाती है। कृषक सदस्यों को उचित मूल्य पर खाद, बीज, कीटनाशक दवा, छोटे कृषि यन्त्र आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना एवं उनके कृषि उत्पादों के विपणन में पैक्सों की मुख्य भूमिका है। राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने में पैक्सों की अहम भूमिका रही है। राज्य के कुछ पैक्सों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय भी किया जा रहा है। कुछ पैक्स अपने सदस्यों से जमा एकत्रित करके अपने संसाधनों से माइक्रो वित्त पोषण का कार्य कर रही। ऐसे पैक्सों की संख्या लगभग 570 है। राज्य में एक करोड़ से अधिक जमा एकत्रित करने वाली पैक्सों की संख्या 20; 40 लाख से अधिक परन्तु 1 करोड़ से कम जमा वाले पैक्सों की संख्या 50 एवं 10 लाख से 40 लाख जमा करनेवाले पैक्सों की संख्या लगभग 200 है। वर्ष 2009–10 में लगभग 2212 पैक्सों द्वारा लगभग 89 करोड़ रुपये का खाद

व्यवसाय किया गया है। पैक्सों में लघु उद्योग के तहत् चावल मिल, आटा चक्की, तेल मिल, कोल्ड स्टोरेज आदि भी स्थापित किये जा रहे हैं। इनमें उर्जा लागत को कम करने एवं गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोतों के उपभोग के दृष्टिकोण से धान की भूसी पर आधारित संयन्त्र लगाये जा रहे हैं। वैशाली जिले के लगुराँव बिलन्दपुर पैक्स के कोल्ड स्टोरेज में 150 के॰भी॰ए॰ का एवं बक्सर जिला के रघुनाथपुर पैक्स, भोजपुर जिला के पीरो तथा बनकट पैक्स में 40 के॰भी॰ए॰ का बायोमास गैसीफायर अधिष्ठापित एवं कार्यरत है। 40 पैक्सों में गैसीफायर के साथ मीनी चावल मील स्थापित करने हेतु प्रति पैक्स 12.00 लाख रुपये की दर से 4.80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है। पैक्सों का चयन अंतिम चरण में है। पैक्सों में 224 किसान कल्बों का गठन किया गया है।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स)

(वित्तीय स्थिति)

(राशि लाख रु॰ में)

वर्ष	पैक्स की संख्या	सदस्य संख्या (हजार में)	हिस्सापूँजी	सुरक्षित निधि	जमा राशि	कार्यशील पूँजी
2002-03	5936	3656	8017.15	195.15	4742.45	48612.16
2003-04	5936	3665	8037.04	198.34	4894.43	50526.66
2004-05	5936	3668	8152.59	201.08	4992.32	47654.84
2005-06	5936	3804	8506.45	247.48	5986.33	44336.52
2006-07	5969	3831	8509.15	247.32	6115.48	46185.95
2007-08	5969	3997	8888.01	254.18	6672.65	49337.04
2008-09	8463	9435	पुनर्गठन के पश्चात् एसेट्स एवं लाईबलिटी का निर्धारण कार्य प्रगति पर।			
2009-10	8463	9637				

(v) दीर्घकालीन कृषि साख एवं बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि॰

राज्य में कृषि विकास के निमित्त सहकारिता प्रक्षेत्र में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) के साथ–साथ दीर्घकालीन कृषि साख (ऋण) मुहैया कराया जा रहा है। दीर्घकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के निमित्त सहकारी क्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक शीर्ष सहकारी संस्थान के रूप में गठित है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण मुहैया कराती है। इस संस्था द्वारा कृषि के अतिरिक्त गैर–कृषि क्षेत्र के लिये भी दीर्घकालीन ऋण मुहैया कराया जाता रहा है।

यह संस्था कृषकों को बंधक के विरूद्ध ऋण उपलब्ध कराती है एवं उक्त बंध पत्रों के विरूद्ध विशेष ऋण पत्रों का निर्गमण किया जाता है जिसमें नाबार्ड, भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान होता है। राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने हेतु वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक के लिए कुल 462.00 करोड़ रुपये की समेकित गारण्टी उपलब्ध करायी गई है। इस शीर्ष सहकारी संस्थान की वित्तीय स्थिति सुखद नहीं है।

5. सुशासन के कार्यक्रम

सुशासन के कार्यक्रम के तहत् **''सहकारिता आन्दोलन को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने''** का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में सहकारी समितियों में निम्नांकित कार्यक्रम चलाये जा रहे है–

1. सहकारी समितियों में सदस्यों की सक्रिय एवं व्यापक भागीदारी

सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों की सेवा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कर सके, इसके लिए सदस्यों की सक्रिय एवं व्यापक भागीदारी अनिवार्य है। सदस्यों की सक्रिय एवं व्यापक भागीदारी सहकारी संस्थाओं में निर्धारित समय पर आमसभा कर सदस्यों की राय से समिति का संचालन तथा सदस्यों को उनके सेवा सम्बन्धी वांछित जानकारी के लिए संस्था के कार्यकलाप में पारदर्शिता से सम्भव हो सकती है। इस उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु सभी सहकारी समितियों एवं विशेष रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियों में सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया जा रहा है; ताकि सदस्यता का आधार व्यापक हो सके। साथ ही उनके कार्यकलाप मे पारदर्शिता लाने हेतु सदस्यों को सूचना के अधिकार को व्यापक बनाया गया है। अभीतक पैक्सों लगभग 57 लाख नये सदस्य बनाये गये हैं।

2. प्राथमिक सहकारी साख समितियों का निरीक्षण

पैक्सों के सबलता के लिये यह आवश्यक है कि उनके लेखाओं का संधारण समय पर उचित तरीके से हो। यह तभी सम्भव है जब वर्ष में कम से कम एक बार प्राथमिक कृषि साख समिति का निरीक्षण अवश्य किया जाय। पैक्स में नियमित निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को संलग्न करने का निदेश प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधकों को दिया गया है साथ–ही–साथ उन्हें लक्ष्य भी उपलब्ध कराया गया है। फलस्वरूप वर्ष 2007–08 में 4661, 2008–09 में 1215 एवं 2009–10 (दिसम्बर' 09) में 454 पैक्सों का निरीक्षण किया गया है

3. प्राथमिक कृषि साख समितियों का अंकेक्षण

प्राथमिक कृषि साख समितियों का अंकेक्षण विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। पैक्सों को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु पैक्स को हानि–लाभ की स्थिति जानना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब पैक्सों का नियमित अंकेक्षण कराया जाये। सुशासन के तहत् पैक्सों का नियमित अंकेक्षण कराया जा रहा है। वैद्यनाथन कमिटि के अनुशंसा के आलोक में पैक्सों का अलग से भी अंकेक्षण/विशेष अंकेक्षण कराया गया है। पैक्सों के पुनर्गठन के पश्चात पैक्सों में आस्तियाँ एवं देनदारियों का विभाजन किया जा रहा है, जिसके तहत 09/02/10 तक 287 पैक्सों के आस्तियों एवं देनदारियों का विभाजन किया जा चुका है। वैद्यनाथन कमिटि के अनुशंसा के आलोक में 5510 पैक्सों का अंकेक्षण कराया जा चुका है साथ ही 5464 पैक्सों का विशेष अंकेक्षण कराया गया है।

4. सहकारी समितियों में निर्वाचन

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सहकारी समितियों का निर्वाचन स्वतंत्र राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से कराने हेतु राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया है। इससे समितियों के निर्वाचन में पारदर्शिता आयेगी। इसके तहत् पैक्सों, व्यापार मंडलों, केन्द्रीय सहकारी बैंको एवं कई शीर्ष सहकारी संस्थानों का निर्वाचन संपन्न कराया जाना है, जिसमें से पैक्सों में निर्वाचन सम्पन्न करा दिया गया है।

इस प्रकार सहकारी समितियों में सदस्यों की व्यापक भागीदारी, जनतांत्रिक प्रबन्धन का प्रतिष्ठापन, समितियों के निरीक्षण एवं अंकेक्षण द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उन्हें वित्तीय संस्थाओं से आवश्यकतानुसार वित्त पोषण कराना ही विभाग की योजना है। वैसे सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दिलायी जाने की योजना है जो सहकारी समितियाँ लाभ में हो और समितियाँ की सकल हानि उसके संचित पूंजी से अधिक नहीं हो।

----

6. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत सहकारी समितियों के लेखा का प्रतिवर्ष अंकेक्षण एक वैधानिक अनिवार्यता हैं। एतद्दर्थ निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा समितियों के वैधानिक अंकेक्षण, जाँच अंकेक्षण, समवर्ती अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते हैं। विभाग में विशिष्ट श्रेणियों की सहकारी समितियों के लेखा अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का एक पैनल भी स्वीकृत है, जिन्हें अंकेक्षण मैन्यूअल के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण का दायित्व सौपा गया है।

सहकारी समितियों में अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि के प्रावधानों के आलोक में जाँच कर समिति के वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन / सत्यापन, त्रुटियों / अनियमितताओं / दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारात्मक उपाय का परामर्श देना है।

विगत सात वर्षों मे सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नांकित सारणी से स्पष्ट है :–

वर्ष	अंकेक्षित सहकारी समितियों की संख्या			
	पैक्स	व्यापार मंडल	अन्य	कुल
2003-04	2265	137	789	3191
2004-05	2171	152	757	3080
2005-06	3039	167	445	3651
2006-07	3464	134	569	4167
2007-08	2269	68	306	2643
2008-09	2030	67	390	2487
2009-10	2327	31	62	2420

नोट : वर्ष 09–10 में पुनर्गठित पैक्सों के आस्तियों एवं देनदारियों के निर्धारण कार्य के कारण अन्य समितियों में निर्वाचन कम हुआ है।

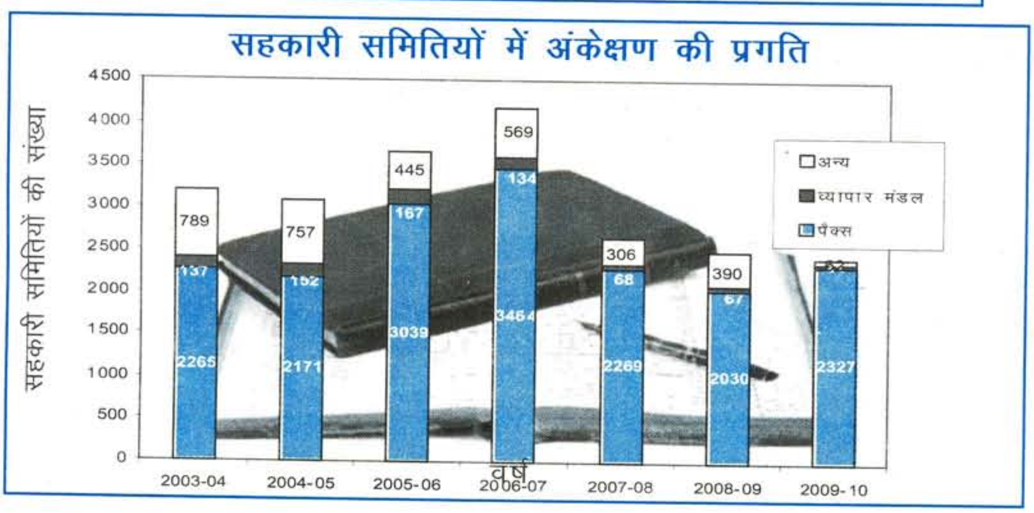

अबतक वैद्यनाथन कमिटि के अनुशंसा के आलोक में सहकारी साख संरचना के पुनरूद्धार हेतु 5510 पैक्सों का अंकेक्षण कराया गया है तथा 5464 पैक्सों में विशेष अंकेक्षण संपन्न किया गया है। पैक्सों के पुनर्गठन के पश्चात उसके आस्तियों एवं देनदारियों का विभाजन किया जा रहा है। 09/02/10 तक 287 पैक्सों के आस्तियों एवं देनदारियों का विभाजन किया जा चुका है।

अंकेक्षकों की कमी के कारण सनदी लेखाकार एवं सेवानिवृत अंकेक्षकों से भी समितियों का अद्यतन अंकेक्षण कराने की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है।

सनदी लेखाकार का एक पैनल भी है। उस पैनल के अंकेक्षकों से शीर्ष सहकारी संस्थायें, केन्द्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ, अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक, प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण समिति, कर्मचारी साख समिति एवं प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियाँ विभागीय प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक अंकेक्षण कराने हेतु स्वतंत्र हैं।

सनदी लेखाकार पैनल के अंकेक्षकों के लिए विभागीय परिपत्र के अन्तर्गत अंकेक्षण शुल्क के निर्धारण एवं भुगतान के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश भी निर्गत किए गए हैं। इस परिपत्र के अनुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का अंकेक्षण शुल्क वार्षिक कारोबार अथवा कार्यशील पूंजी के आधार पर आकलित की जाती है।

बिहार सहकारी समिति नियमावली, 1959 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर समिति का अन्तिम लेखा एवं विवरणी निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं अंकेक्षक को समर्पित कर देना है। अन्तिम लेखा विवरणी प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तैयार नहीं किये जाने की स्थिति में निबंधक, सहयोग समिति द्वारा उसे सशुल्क तैयार कराने का प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि यदि सहकारी समिति की प्रबन्धकारिणी समिति अधिनियम, नियमावली अथवा बाई–लॉज के तहत् निर्धारित जिम्मेवारी निभाने में विफल रहती है तो, सफाई का एक मौका देते हुए निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति को अधिकतम छः माह के लिए निलम्बित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यथेष्ट कारण उपलब्ध रहने पर प्रबन्धकारिणी समिति के सभी अथवा कुछ सदस्यों को अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रबन्धकारिणी समिति के लिए चुने जाने के लिये अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।

जो समिति जान–बूझकर अपना लेखा एवं अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध कराने में आना–कानी करते है तो, उनके विरूद्व Non-Production of Records के लिए मामला दायर किया जा सकता है और इस अपराध के लिए अधिकतम छः माह की कैद अथवा 500 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पाँच माह के अन्दर विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ को उपलब्ध कराना है, जिसमें अंकेक्षित लेखा भी शामिल है। उक्त प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने के अपराध में कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

----

7. अन्य महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

i) बिहार राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान)

सहकारी क्षेत्र में बिहार राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान) एक शीर्ष सहकारी पणन संस्थान के रूप में गठित है। राज्य के कृषि उत्पादन में व्यापार मण्डलों एवं पैक्सों के माध्यम से कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि उपलब्ध करवाना एवं कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के पणन, भंडारण एवं शीत भंडारण की व्यवस्था करना बिस्कोमान का मुख्य कार्य रहा है। परन्तु विगत कुछ वर्षों से अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यापारिक घाटे के कारण बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गयी है। बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है तथा इस संस्था द्वारा व्यवसाय विकास हेतु वर्तमान में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

बिस्कोमान के व्यवसाय की विगत चार वर्षों की स्थिति

(राशि लाख रुपये में)

क्रमांक	विवरणी	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	धान / चावल / गेहूँ अधिप्राप्ति	6458.30	4620.80	15902.76	18195.35	16618.20
2.	जुट अधिप्राप्ति	29.00	72.09	39.55	26.74	-
3.	बीज व्यवसाय	91.00	0.00	47.26	-	9.30
4.	खाद व्यवसाय	1337.59	1653.64	454.70	-	-
5.	किराया आदि से प्राप्त	300.33	297.31	212.40	385.31	243.94
6.	कोयला व्यवसाय	1394.83	27.35	149.35	-	-
	कुल योग	**9611.05**	**6671.19**	**16806.02**	**18607.40**	**16871.53**

ii) बिहार स्टेट हाऊसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰

वर्ष 1969 में गठित सहकारिता क्षेत्र में शहरी जन–समुदाय को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तरीय यह संघ सहकारी शीर्ष संस्थान के रूप में अपने संबद्ध प्राथमिक गृह निर्माण सहयोग समितियों के सदस्यों एवं व्यक्तिगत सदस्यों को गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराती रही है। इस संस्था का निबंधन संख्या 3 / 1969 है। इस संस्था से बिहार एवं झारखण्ड राज्य के 1333 प्राथमिक गृह निर्माण सहयोग समितियाँ संबद्ध है, जिसमें से 697 समितियों को ऋण दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (माह जनवरी 2010 तक) इस संस्था द्वारा कुल मांग मो॰ 110.03 करोड़ रुपये के विरूद्ध मो॰ 5.93 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है। वर्ष 2009–10 में सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई की भारतीय

जीवन बीमा निगम से एकमुश्त समझौता कर मो॰ 6.75 करोड़ रुपये निगम को वापस कर फेडरेशन ऋण मुक्त हो गया है।

संस्था की वित्तीय स्थिति

(रुपये लाख में)

		2008–09	2009–10
1.	अधिकृत हिस्सापूँजी	5000.00	5000.00
2.	कुल हिस्सापूँजी	864.77	864.77
3.	कुल हिस्सापूँजी में राज्य सरकार का अंशदान	668.02	668.02
4.	राज्य सरकार द्वारा हुडको को गारण्टी के विरूद्ध भुगतान की गई राशि	1671.04	शून्य
5.	**वित्तीय संस्थाओं को वापस की गयी ऋण की राशि सूद सहित**		
	(क) भारतीय जीवन बीमा निगम	40.00	675.00
	(ख) राज्य सरकार को गारण्टी के विरूद्ध भुगतान की गयी राशि	113.67	शून्य
6.	**वित्तीय संस्थाओं का बकाया कुल राशि**		
	(क) भारतीय जीवन बीमा निगम	675.00	शून्य
	(ख) राज्य सरकार की गारण्टी के विरूद्ध गयी राशि	1557.37	1557.37
	(ग) अन्य ऋण सूद सहित	121.08	129.53
	कुल	**2353.45**	**1686.90**

iii) बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰

सहकारिता क्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी संघ सबसे पुरानी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थान है, जिसका निबंधन वर्ष 1918 में हुआ है। इस संस्था का मुख्य कार्य सहकारी शिक्षा का प्रचार–प्रसार, सहकारी सम्मेलन, प्रशिक्षण, स्टॉल लगाना, सहकारिता वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, सहकारी साहित्य का प्रकाशन, सहकारिता सप्ताह का आयोजन एवं सहकारी सेमिनार आयोजित करना रहा है। इस संस्था द्वारा मासिक पत्रिका "गाँव" का प्रकाशन भी किया जाता है। यह संघ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों एवं सामान्य सदस्यों को शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी शिक्षा की जानकारी भी देता है। साथ ही साथ सहकारिता प्रक्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं/परियोजना एवं विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी प्रशिक्षित करता है।

राज्य में निबंधित सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ अनिवार्य रूप से इस संघ के सदस्य होती हैं। इस संस्था की आय का मुख्य स्त्रोत अपने सदस्य समितियों से वसूल किया गया लेवी एवं सरकारी

अनुदान है। इस संघ द्वारा प्रधानमंत्री के 15–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ओरियेन्टेशन कोर्स आयोजित कर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है।

निम्नांकित सारणी में विगत पाँच वर्षों में आयोजित ओरियेन्टेशन कोर्स की संख्या एवं लाभान्वित सदस्यों की संख्या दर्शायी गयी है :–

वर्ष	ओरियेन्टेशन कोर्स आयोजन की संख्या	अल्प संख्यक समुदाय के लाभान्वितों की संख्या
2005 – 06	87	111
2006 – 07	91	83
2007 – 08	53	167
2008 - 09	36	157
2009-10	03	16 (01/04/09 से 30/04/09 तक)

iv) केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार का गठन लगभग प्रत्येक अनुमण्डल में है। उपभोक्ता प्रक्षेत्र में यह केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के रूप में निबंधित है। बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की जर्जर वित्तीय स्थिति का कुप्रभाव स्पष्ट रूप से केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के कार्यकलाप पर भी पड़ा है। अधिकांश केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार मृतप्राय हो गये हैं।

पाँच वर्षो के कार्यकलाप एवं वित्तीय स्थिति निम्नांकित सारिणी से स्पष्ट है।

(राशि लाख में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पुंजी	कार्यशील पुंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
1	2	3	4	5	6
2005-06	61	24457	95.41	158.10	253.49
2006-07	61	25400	109.55	234.92	243.72
2007-08	61	25400	109.55	235.36	248.72
2008-09	61	27420	148.33	217.66	147.51
2009-10	61	27445	148.34	215.48	133.52

v) प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता प्रक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है, जिसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश सहकारी उपभोक्ता भण्डार लगभग निष्क्रिय हैं। कुछ सहकारी उपभोक्ता भण्डार जन–वितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

विगत पाँच वर्षों का कार्यकलाप एवं वित्तीय स्थिति

(राशि लाख रु॰ में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
1	2	3	4	5	6
2005-06	1813	104291	41.28	140.05	1085.46
2006-07	1813	104403	41.39	140.05	1087.48
2007-08	1813	104512	41.42	141.12	1105.88
2008-09	1813	104617	41.57	141.37	1122.38
2009-10	1813	104632	41.57	139.72	1018.52

v) व्यापार मण्डल

व्यापार मण्डल सहयोग समितियाँ प्रखण्ड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में काम आने वाले सभी वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि का क्रय–विक्रय तथा कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का पणन है। व्यापार मण्डल राज्य स्तर पर गठित पणन शीर्ष समिति (बिस्कोमान) से सम्बद्ध है। बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति जर्जर होने का कुप्रभाव व्यापार मण्डल पर भी पड़ा है। फलस्वरूप अधिकांश व्यापार मण्डलों की वित्तीय स्थिति जर्जर हो गयी है।

विगत पाँच वर्षों में व्यापार मण्डल की वित्तीय स्थिति

(राशि लाख में)

वर्ष	व्यापार मंडलों की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सापूँजी	कार्यशील पूँजी	कारोबार की राशि
2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2005-06	391	165490	896.59	1840.07	2223.54
2006-07	391	159318	895.97	1925.66	2017.82
2007-08	391	159418	896.04	1935.60	2045.72
2008-09	391	159960	897.08	2054.12	2125.40
2009-10	391	160130	897.31	2032.32	2032.18

vii) दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ

विश्व बैंक तथा राष्ट्रीय गव्य विकास निगम के तत्वाधान में अमूल पद्धति पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियाँ गठित की गयी हैं। राज्य में सुधा ब्राण्ड के तहत् बिक्री किये जाने वाले तरल दूध, लस्सी, पेड़ा, आईस्क्रीम आदि काफी लोकप्रिय हैं। दिन–प्रतिदिन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। सम्प्रति 1503 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ, पूर्व मध्यवर्ती दुग्ध सहकारी संघ एवं कम्फेड द्वारा निबंधित दुग्ध समितियाँ दुग्ध व्यवसाय में संलग्न है।

8. बिहार राज्य भण्डार निगम

बिहार राज्य भण्डार निगम Central Warehousing Corporation Act, 1962 के तहत् गठित ग्रामीण एवं शहरी भण्डारण व्यवसाय से सम्बन्धित संस्था है। सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य भण्डार निगम को अधिसूचना संख्या 3240 दिनांक 12/12/1996 के द्वारा राज्य भण्डारण एजेन्सी के रूप में अधिसूचित किया गया है। निगम की अधिकृत हिस्सापूँजी में बिहार सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम का अंशदान 50–50 प्रतिशत है। निदेशक परिषद् में भी इसी अनुपात में राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम के द्वारा निदेशक मनोनीत है।

निगम का मुख्य कार्य कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं अन्य संस्थाओं की सामग्रियों यथा खाद्यान्न, खाद आदि का भंडारण है। निगम की आय का मुख्य स्रोत अपने गोदामों से प्राप्त भंडारण शुल्क एवं परिवहन तथा हाथालन शुल्क है। निगम कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के भण्डारण के साथ–साथ कृषि उत्पादित वस्तुओं के भण्डारण हेतु कृषकों को प्रशिक्षित भी करती है। वर्ष 2005–06 तक निगम का अधिकृत हिस्सापूँजी 2.00 करोड़ रुपया था, जिसे वर्ष 2006–07 में खाद्य मंत्रालय भारत सरकार को अनुरोध कर 10.00 करोड़ उत्क्रमित कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य योजना से निगम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन हेतु क्रमशः 1929.30 एवं 374.00 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया है। निगम द्वारा वर्ष 2009–10 में राज्य सरकार को लाभांश के रूप में 46.08 लाख रुपये भुगतान किया गया है। वर्तमान में बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा कुल भंडारण क्षमता का शत् प्रतिशत आभोग किया जा रहा है। निगम द्वारा प्रकृतिक आपदा से जुझने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 50.00 लाख रुपया दिया गया है। निगम द्वारा राज्य गें कुल 36 स्थानों पर भंडारण केन्द्र चलाया जा रहा है तथा कृषकों को भंडारण में 30% की छूट दी जा रही है। निगम का वर्ष 2008–09 का वैधानिक अंकेक्षण भी समाप्ति पर है।

बिहार राज्य भण्डार निगम का विगत् पाँच वर्षों का वित्तीय कार्यकलाप का तुलनात्मक विवरणी निम्नांकित है :–

		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	अधिकृत हिस्सापूँजी (लाख रूपये में)	200.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2.	प्रदत्त हिस्सापूँजी (लाख रूपये म)					
	क. केन्द्रीय भण्डारण निगम	68.55	100.00	321.00	321.00	321.00
	ख. राज्य सरकार	68.55	321.00	321.00	321.00	321.00
	ग. कुल	137.10	421.00	642.00	642.00	642.00
3.	व्यवसाय से कुल आय (लाख रुपये में)	2732.03	2957.06	4220.95	4500.00	6510.00
4.	शुद्ध लाभ (लाख रूपये में)	34.33	211.94	113.52	537.00	651.25

परिशिष्ट – I

राज्य मे निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :–

01	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियाँ (पैक्स)	8463
02	पणन सहयोग समितियाँ (व्यापार मंडल)	391
03	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	1874
04	बचत एवं साख सहकारी समितियाँ	327
05	मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ	590
06	गृह निर्माण सहयोग समितियाँ,	2741
07	औद्योगिक सहयोग समितियाँ	2647
08	विशेष प्रकार की सहकारी समितियाँ	393
09	कुक्कुटपालन सहयोग समितियाँ	237
10	शीत भण्डार सहकारी समितियाँ	50
11	श्रमिक सहयोग समितियाँ	4577
12	ग्रामोदय सहयोग समितिया	844
13	महिला विकास सहयोग समितियाँ	430
14	बुनकर सहयोग समितियाँ	1091
15	फल सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ	342
16	तेल उत्पादक सहयोग समितियाँ	474
17	दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियाँ	1503
18	ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समितियाँ	76
19	सिंचाई सहयोग समितियाँ	557
20	संयुक्त कृषि सहयोग समितियाँ	406
21	नाव यातायात सहयोग समितियाँ	89
22	चर्मकार सहयोग समितियाँ	187
23	परिवहन सहयोग समितियाँ	172
24	सर्वोदय सहयोग समितियाँ	54
25	सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समितियाँ	7498
	कुल	**36013**

नोट :– स्वावलम्बी सहयोग समितियाँ 1935 के तहत् पूर्व से निबंधित सहकारी समितियों का सम्परिवर्तन भी सम्मिलित है।

परिशिष्ट – II

सहकारिता विभाग की प्रशासनिक एवं संगठनात्मक संरचना

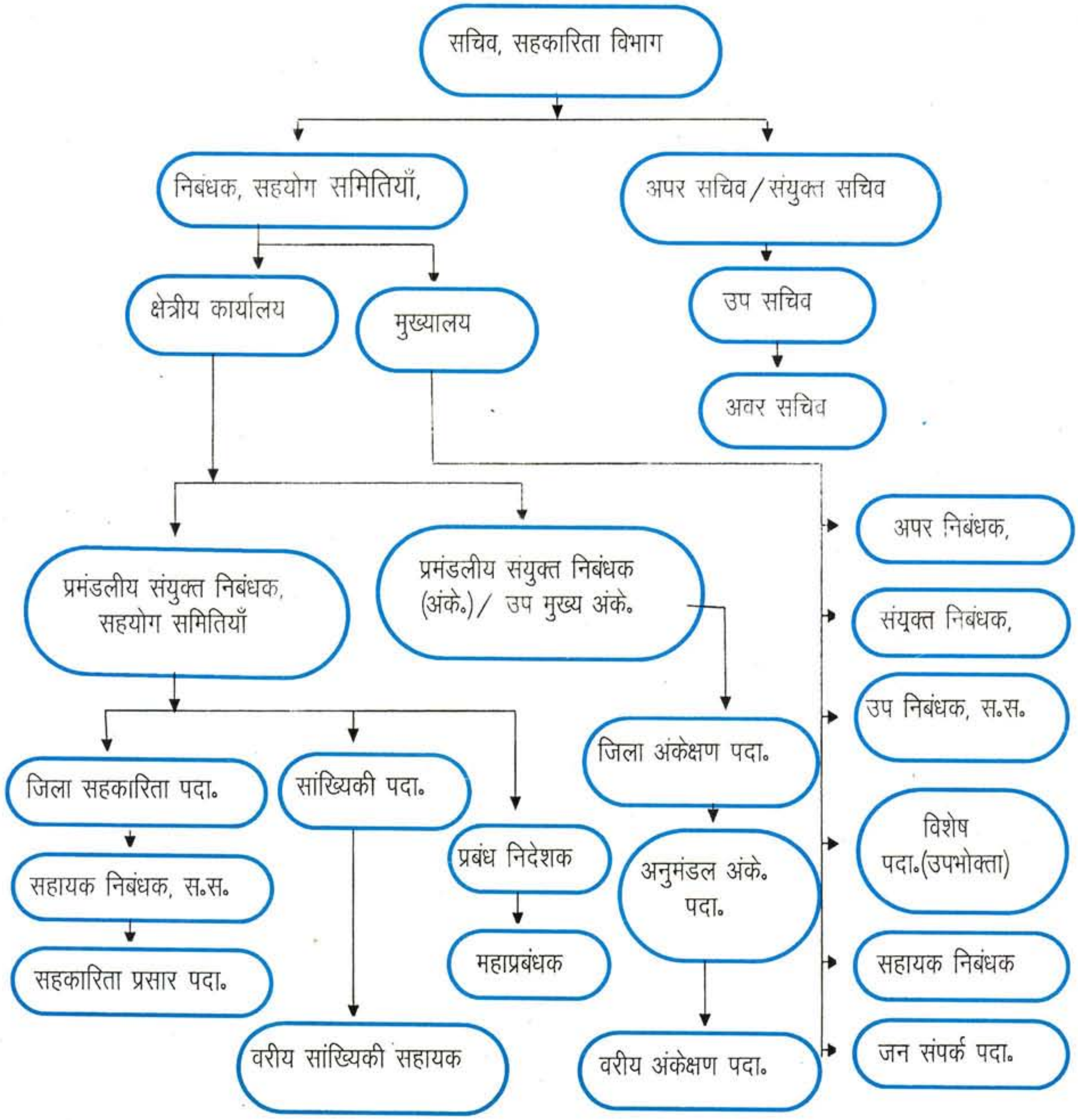

परिशिष्ट – III

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमण्डल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमण्डलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित है:–

प्रमण्डल	जिला सहकारित पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमण्डल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	1. मुजफ्फरपुर	1. मुजफ्फरपुर (पू.)	1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके.) तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	1. मुजफ्फरपुर
		2. मुजफ्फरपुर (प.)		2. वैशाली
	2. वैशाली	3. हाजीपुर		3. सीतामढ़ी
	3. सीतामढ़ी	4. सीतामढ़ी		4. मोतीहारी
		5. पुपरी		5. बेतिया
	4. शिवहर	6. शिवहर		
	5. मोतीहारी	7. मोतीहारी		
		8. सिकरहना		
	6. बेतिया	9. बेतिया		
		10. बगहा		
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल, पटना	7. पटना	11. पटना सदर	2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके.) पटना प्रमण्डल, पटना	6. पटना
		12. बाढ़		
		13. पटना सिटी		
		14. दानापुर		
		15. मसौढ़ी		
	8.नालन्दा	16. बिहारशरीफ		7. नालन्दा
		17. हिलसा		
	9. भोजपुर	18. आरा		8. भोजपुर (आरा)
	10. बक्सर	19. बक्सर		
		20. डुमराँव		
	11. रोहतास	21. सासाराम		9. रोहतास
		22. विक्रमगंज		
	12. कैमूर	23. कैमूर		

1	2	3	4	5
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर	13. भागलपुर	24. भागलपुर	3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके.) भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर	10. भागलपुर
		25. नवगछिया		
	14. बाँका	26. बाँका		
	15. मुंगेर	27. मुंगेर		11. मुंगेर
	16. जमुई	28. जमुई		
	17. शेखपुरा	29. शेखपुरा		
	18. लखीसराय	30. लखीसराय		
	19. बेगूसराय	31. बेगूसराय		12. बेगूसराय
	20. खगड़िया	32. खगड़िया		13. खगड़िया
4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	21. दरभंगा	33. दरभंगा	4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके.) दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	14. दरभंगा
		34. बेनीपुर		
	22. मधुबनी	35. मधुबनी		15. मधुबनी
		36. झंझारपुर		
		37. बेनीपट्टी		
	23. समस्तीपुर	38. समस्तीपुर		16. समस्तीपुर
		39. दलसिंहसराय		
		40. रोसड़ा		
		41. पटोरी		
5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमण्डल, छपरा	24. छपरा	42. छपरा	5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके.) सारण प्रमण्डल, छपरा	17. छपरा
		43. सोनपुर		
	25. सिवान	44. सिवान		18. सिवान
	26. गोपालगंज	45. गोपालगंज		19. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमण्डल, गया	27. गया	46. गया	6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके.) मगध प्रमण्डल, गया	20. गया
		47. शेरघाटी		
	28. जहानाबाद	48 जहानाबाद		
	29. अरवल	49. अरवल		
	30. औरंगाबाद	50. औरंगाबाद		21. औरंगाबाद
	31. नवादा	51. नवादा		22. नवादा
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा	32. मधेपुरा	52. मधेपुरा	7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके.) कोशी एवं पूर्णिया प्रमण्डल, सहरसा	23. सहरसा
		53. उदाकिशनगंज		24. पूर्णिया
	33. सहरसा	54. सहरसा		25. कटिहार
		55. वीरपुर		
		56. त्रिवेणीगंज		
	34. सुपौल	57. सुपौल		
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	35. पूर्णिया	58. पूर्णिया		
	36. किशनगंज	59. किशनगंज		
	37. अररिया	60. अररिया		
	38. कटिहार	61. कटिहार		

इसके अतिरिक्त बिस्कोमान, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बिहार राज्य हाऊसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना तथा छपरा, गया, पटना एवं सहरसा में उप–मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय भी है।

बैंकिग कार्य करते हुए
ढेपहा भूईंया पैक्स, सीवान

बायोमास गैसीफायर आधारित राईस मिल,
गोपालगंज व्यपार मंडल

उर्वरक व्यवसाय करते हुए भदवर पैक्स, कोईलवर, भोजपुर

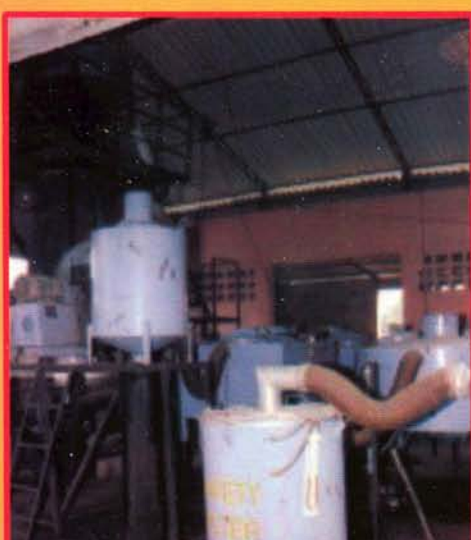

बायोमास गैसीफायर संयंत्र

"सहकारी क्षेत्र में गैर पारम्परिक ऊर्जा का प्रयोग एक नई पहल"